न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 56 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

डूंगर पिता रोड़ा जी गमेती, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. केशा पिता डूंगा जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवा पिता लाला जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. वजिंग दत्तक पुत्र नवा जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. चतरिया पिता वाला जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. हमेरा पिता रामा जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि॰
13.05.2024 प्रकरण संख्या 89 / 2023

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस. के. जोशी अभिभाषक रे.सं. 5
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम छाली, तहसील गोगुन्दा में वादी एवं प्रतिवादीगण का पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

की खाता संख्या 210 की कुल किता 25 रकबा 2.2900 हैक्टर, खाता संख्या 209 की कुल किता 1 रकबा 0.0250 हैक्टर, खाता संख्या 208 की कुल किता 15 रकबा 0.8100 हैक्टर एवं खाता संख्या 211 की कुल किता 1 रकबा 0.1750 हैक्टर भूमि स्थित है तथा पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु आराजियात संयुक्त रूप से दर्ज होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–02–2024 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–05–2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा दावा मात्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था तथा अन्य कोई रिलीफ नहीं चाही गयी थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद के विपरीत जाकर मृतक नानकी के विधिक वारिसों की जांच करने का आदेश पारित कर दिया, जो कानून के विपरीत है, क्योंकि नानकी के विधिक वारिस हमेरा वाद में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–05–2024 में 'तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जमाबन्दी में अंकित वाद अनुसार मृतक नानकी के विधिक वारिसान हमेरा की तस्दीक करने के नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करने के उपरान्त ही निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

पालना की जावे'', को हटाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। मृतक नानकी के विधिक वारिसान हमेरा पूर्व से प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व अंतिम डिक्री में वाद में चाहे गये अनुतोष के विपरीत जाकर जो ''तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जमाबन्दी में अंकित वाद अनुसार मृतक नानकी के विधिक वारिसान हमेरा की तस्दीक करने व नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे,'' शब्द जोड़ा गया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री 13–05–2024 में अंकित ''तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जमाबन्दी में अंकित वाद अनुसार मृतक नानकी के विधिक वारिसान हमेरा की तस्दीक करने व नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे'', को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को शेष निर्णय व डिक्री यथावत रहेगी। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

डूंगर पिता रोडा जी गमेती, निवासी मदा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर	बनाम	केशा पिता डूंगा जी भील, निवासी नाल का वास छाली, तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......**56/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**गोगुन्दा**........... मुकाम...............मुवर्खे............**13**..............माह..............**05**...........**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**30**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..........**श्री एस. के. जोशी**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री 13–05–2024 में अंकित ''तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जमाबन्दी में अंकित वाद अनुसार मृतक नानकी के विधिक वारिसान हमेरा की तस्दीक करने व नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे'', को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को शेष निर्णय व डिक्री यथावत रहेगी।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**30**.......माह.......**07**..........**2024**
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन को कुल खर्चा अपील का, जोकि डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested